# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT GARHWAL(PAURI)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Garhwal (Pauri) Dated: 27-2-2017

(CHANDRA SHEKHAR BHATT)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Papri Garhwal

गढ़वाल(पीडी)

# It is Further Certified that - Minutes of Meeting of Construction of Naugoan to Bhukhandi Motor Road (Length 6.1 Km) regarding FRA is as following:

Ser. No.		Remark	
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire 4.86 hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.	
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.	
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and preagricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.	

जिला अंचासती सदस्य सन्दर्भ प्रधान, पाई गढ़वाल संत्र 13 उमरोली

ब्रम-सेल्डी, पो० यमकेबर, पैड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

जिला समाज केल्याण अधिकारी

विक्षा समान व्यक्ति वहुपान

अधिशासी अभियन्ता सि०ख० पी०एम०जी०एस०वाई० कोटद्वारपौडी (गढवाल) प्रभागीय वनाधिकारी भूमि सरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

(चन्द्रशेखर भट्टू) जिस्साधिकातीरी

गढ़वाल

CA.A

P-45

# FORM 1 (for project of other linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal

No. 32 4

## To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

Dated 27/2/2017

In compliance of the Ministry of Enviroment and Forests (MOEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialted and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 4.86 hectares of forest land proposed to be diverted in fovour of Rural Development Department (name of user agency) for Road Construction (purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of Bukandi villages(s) in Yamkeshwar tehsils.

- (a) The complete process for identification and stettlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.86 hectares of forest Land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 4.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in verncular/ local languages) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Shabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have been given their consent to the proposed diversion and the compensation and amelioratic measures, if any,having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy certificate issued by the gram sabha of Bukandi villages(s) is enclosed as annexure annexure 1 to annexure 4.
- (d) The discussion and dicision on such proposals had taken case only when there was a quorum of minimum 50% of the member of gram shabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities manged by the Government as required under section 3
   (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The Right of primitive travel group and pre agriculture communities when applicable have been specifically safeguarded as per saction 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As Above

(Full name and official seal of the District Collector)

(Chandra Shekher Bhatt) District Collector Garhwal Pauri Garhwal

> जिला मजिस्ट्रेट गढवाल

F.R.A

P-44

Annexure -1

FORM 1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwai

No. 324

Dated 27 2 2017

### To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (M0EF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialted and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.86 hectares of forest land proposed to be diverted in fovour of Rural Development Department (name of user agency) for Road Construction (purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of Bukandi villages(s) in Yamkeshwar tehsils.

- (a) The complete process for identification and stettlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.86 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 4.
- (b) The diversion of forest land for facilities manged by the Government as required under section 3
   (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not invovle recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre- Agricultural communites.

Encl.: As Above

(Full name and official seal of the District Collector)

(Chandra Shekher Bhatt) District Collector Garhwal Pauri Garhwal

ग्रदवाल

FRA

#### प्रपन्न - 23

परियोजना का नाम:— प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग के कि0मी015.00 से कि0मी0 21.100 के अन्तर्गत सिविल भूमि 4.86 है0 का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :--

बुकण्ड़ी यमकेश्वर

जिला:-पौड़ी गढ़वाल

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी गढ़वाट उत्तत्तखण्ड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग किंठगाँ०15.00 से किंठमीं० 21.00 परियोजना के निर्माण हेतु शून्य हे० आरक्षित वन भूमि 4.86हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे०, वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 4.86 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बुकण्डी द्वारा दिनांक. हिंदी कर्म को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बुकण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.86है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

विकास विकास व्यक्तिक

ग्राप सचिव -

CLIPTITITICALITATION OF THE CONTRACTOR OF THE CO

Doul

प्रशासक प्रशासक प्रशासक

नटि यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित है। रही है, तो वदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

सहायतः भीभवना द्वितीय सिंहातं खण्ड (लोठनिठिका) सम्बद्धारं कोटहार (स्कृताल) Sporner of SDM(Y)

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, लोठ निठ विठ पी.आई.यु.(पी.एम.जी.एस.चाड) FR.A

# प्रपत्र- 23.1

विनांक. 11-4-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत विक03)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित द्वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	A5-2185	Saule
2	ध्यमपाला	द्य मिपाल
3	रेवत राम	रेवत याम
4	अगिन्द पिट्ट	Holde lig
5	HIETANICA	सार-1011 का
6	3173(h)	717862
7	- cosman	-405mg
8	31210/2	MANU &
9	ग्राबराह्य ह	3/4/14/6
18	दलीपसिंह	दलीपसिंह
11	-चडासह	
71		

F.R.A

#### प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम:— प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी भोटर मार्ग के कि0मी0 15.00 से 21.100 के अन्तर्गत सिविल भूमि 4.86 है0 का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

> कार्यालय उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

#### प्रमाण- पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, क्रिकेश्व

उपखण्ड अन्तर्गत परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग (शून्य हे0 आरक्षित वनभूमि, 4.86 हे0 सिविल एव सोयम एव सोयम वनभूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि). अर्थात कुल 4.86 हे0 वनभूमि ) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सिमित, (तहसील यमकेश्वर) की दिनांक अनुसूचित जो सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री. डि. ठ प्रिंड प्रिंग्स उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में भाननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री टी० प्रि. उपजिलाधिकारी प्रेम केवा अध्यक्ष
2- श्री धीर ज धार का ब्रांशिक प्रभागीय वनाधिकारी भू ज ५ केवा स्वस्थान प्रभागीय वनाधिकारी भू ज ५ केवा स्वस्थान प्रभागीय वनाधिकारी वनाधिकारी अधिकारी यात्रा अधिकारी यात्रा अधिकारी यात्रा अधिकारी यात्रा अधिकारी वन प्रभाव अधिकारी वार्ष वार्ष अधिकारी वार्ष वा

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

प्रशान भी गाम हाउन के जनम के अन्तर्गत जनपर परियोजना हेतु परिष्ठ है०वन भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समझ रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्भित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजिनक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारों की सन्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006

F.R.A

के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। 🥆

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड याम के बर्व परिक्षेत्र के नाराव सि कु १० डा परियोजना के निर्माण हेतु 1:06 है। वन भूमि स व व क्रियोक्सी ए निय एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

> goonly & उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वृन अधिकार समिति

> तहसील प्राचीन जनपद....

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी गढवाल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उ जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वत् अधिकार समिति तहसील......

some &